



कार्यालय Office of the
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager,
बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)

दर परिपत्र सं. 65(माल)/2017

Rates Circular No.65(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy/Pt.I/1820

दिनांक/Date: 31/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ट्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक,/Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक,/Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर(ARMs) भिलाई, कोरवा, पहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी.ए.)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी./Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।
कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता
महाप्रबंधक/कीस, सीएओ/एफओआईएस, ओसीसी/कीस, चाण्क्यपुरी नई दिल्ली.,
कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन नई दिल्ली।

विषय/Sub:- **Container Rail Terminal (CRT), Container Class Rate (CCR) and Hub & Spoke system of charging.**

संदर्भ/Ref:- (1) Railway Board's Rates Master Circular CRT-CCR-Hub & Spoke/2015/0 and its corrigendum 4 dt. 15.06.16.
(2) This office Rates Circular No.60(G)/2015 &108(G)/16.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TC-I/2014/302/2 दिनांक 30/03/2017 (Corrigendum No. 9 to Rates Master Circular CRT-CCR-Hub & Spoke/2015/0) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Please refer to Corrigendum 4 dt. 15.06.2016 of the Rates Master Circular under reference vide which 'Kota Stone' has been exempted from the list of notified commodities up to 31.03.2017.

Contd..2..


The matter has been reviewed and it has been decided to extend the exemption of 'Kota Stone' from the list of notified commodities upto 31.03.2018 . 'Kota Stone' will continue to be charged at 'Haulage Charge per TEU' basis instead of 'Container Class Rate (CCR)' till such period.

In view of the above, the term 'Bricks and Stones other than Marble and Ceramic Tiles' mentioned in Para 1.2.1 of Chapter-II of the Rates Master Circular under reference may be read as 'Bricks and Stones other than Marble, Ceramic Tiles and Kota Stone.'

Sr.DCM/BSP, R, NGP will furnish monthly feedback regarding transportation of 'Kota Stone' in container for review.

This issues in consultation with Traffic Transportation Dte. and with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक